गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

प्रबन्ध–मण्डल की 26 वीं बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 25.07.2025
समय : प्रातः 11:00 बजे
स्थान : ए0आई0यू0, नई दिल्ली

बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही :

क0 सं0	नाम	पद
1.	प्रो0 प्रभात कुमार	मान्य कुलपति, अध्यक्ष
2.	डॉ0 एस0एम0 शर्मा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य
3.	डॉ0 हरि प्रकाश शर्मा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य
4.	डॉ0 प्रतिभा मेहता लुथरा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्या
5.	श्री पी0के0 बैनर्जी	शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से नामित सदस्य (ऑनलाईन लिंक प्रेषित) (अनुपस्थित)
6.	श्री विनय आर्य	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
7.	श्री अशोक कुमार पुरथी	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
8.	डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
9.	श्री कृपाल सिंह	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
10.	प्रो0 नवनीत	वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
11.	प्रो. हेमलता के.	वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्या – **अनुपस्थित**
12.	प्रो. सुरेखा राणा	वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्या – **अनुपस्थित**
13.	डॉ0 मनोज कुमार	वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्य
14.	डॉ0 हेमन पाठक	कॉर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून – **विशेष आमंत्रित सदस्य**
15.	प्रो0 राकेश कुमार, वित्ताधिकारी	**विशेष आमंत्रित सदस्य**
16.	प्रो0 सुनील कुमार, कुलसचिव	सचिव–संयोजक
17.	श्री देवेन्द्र कुमार	संयुक्त कुलसचिव

नोट – शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से नामित सदस्य श्री पी.के. बैनर्जी के अनुरोध पर ऑनलाईन बैठक में सम्मिलित होने हेतु वी.सी. लिंक बैठक आरम्भ होने हेतु पूर्व एवं बैठक के दौरान भेजा गया, परन्तु श्री पी. के. बैनर्जी अनुपस्थित रहे।

प्रस्ताव संख्या 01(अ) **ईश वन्दना के साथ बैठक का आरम्भ।**

ईश वन्दना के साथ बैठक आरम्भ हुई।

प्रस्ताव संख्या 01(ब) **समविश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सेवाकाल/पेंशनधारी दिवंगत हुए शिक्षक/कर्मचारियों एवं पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद भारतीय नागरिकों को श्रद्धांजली।**

प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपरोक्त सभी को श्रद्धांजली प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या 02 **समविश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी के रुप में श्री एस0के0 आर्य जी की नियुक्ति के सन्दर्भ में प्रस्ताव अंकन हेतु प्रस्तुत।**

कुलसचिव ने प्रबन्ध मण्डल को सूचित किया कि समविश्वविद्यालय में कुलाधिपति के रुप में प्रायोजक संस्थाओं (आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब, आर्य प्रतिनिधि सभा, हरियाणा, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा) के द्वारा यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2019 के अनुसार आम सहमति से समविश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रुप में श्री एस0के0 आर्य जी को दिनांक 22.05.2025 से आगामी पांच वर्ष हेतु नियुक्त किया गया है। जिसके उपरान्त उन्होंने दिनांक 22.05.2025 से समविश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रबन्ध मंडल ने माननीय कुलाधिपति जी की नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए निर्णय का स्वागत एवं अभिनन्दन किया है।

प्रस्ताव संख्या 03 **समविश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री एस0के0 आर्य जी ने समविश्वविद्यालय में लागू यू.जी.सी. रेगुलेशन 2019 में प्रदत्त अधिकार एवं कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत विभागीय आख्या के दृष्टिगत समविश्वविद्यालय में कुलपति (कार्यवाहक) के रूप में प्रो. प्रभात कुमार, प्रोफेसर, प्रा. भा.इति.सं.एवं पुरातत्व विभाग की तीन माह हेतु नियुक्ति के सन्दर्भ में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।**

मान्य कुलाधिपति जी द्वारा कार्यवाहक कुलपति प्रो. हेमलता के., प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून को अपने मूल कार्यस्थल (कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून) में अपने कार्यालयादेश CHAN/GKV/2025-26/05 दिनांक : 05.07.2025, समयः 2.00 pm को कार्यवाहक कुलपति पद से मुक्त करते हुए अपने मूल विभाग अंग्रेजी विभाग, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में कॉर्डिनेटर को रिपोर्ट करने को कहा गया। माननीय कुलाधिपति जी ने मुख्य बिन्दु 1 से 6

1. Communication seeking your reply on the complaint for constituting a committee under chairmanship of Prof. L.P. Purohit dated 28th June 2025.
2. Communication with regard to proposed visit of Chancellor on 5th july 2025 dated 30th june 2025.
3. Communication asking for access to the Chancellor's official email ID as created by university office dated 3rd July 2025.
4. Communication in response to your order 1-2/VCO/EC/13 sent on 3rd July 2025.
5. Communication asking clarification on website's Chancellor's page not appearing which was appearing till 3rd July 2025.
6. Communication seeking a sequential report of the abysmal incident of July 2nd 2025 at University Campus against board of Management members.

तथा विस्तार से 03 माह के कार्यकाल जो 1 मई 2025 से तीन माह अथवा स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेश तक (जो भी पहले हो) तक था, को तत्काल प्रभाव से रिवॉक्ड करने के कारण (प्रशासनिक एवं विधिक कमियां) बताते हुए अपने मूल पद पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया।

तदोपरान्त दिनांक 05.07.2025 को कार्यालयादेश CHAN/GKV/2025-26/06 के द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा मुख्य परिसर से प्रो0 प्रभात कुमार, प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग को दिनांक 05.07.2025 से तीन माह अथवा स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेश तक (जो भी पहले हो) के लिये समविश्वविद्यालय के कुलपति (कार्यवाहक) का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। उक्त के आलोक में कुलसचिव द्वारा पत्रांक GKV-REG-7 दिनांक 07.07.2025 को अधिसूचना जारी की गई एवं प्रो. प्रभात कुमार द्वारा समविश्वविद्यालय के कुलपति (कार्यवाहक) का अतिरिक्त दायित्व दिनांक 05.07.2025 की अपराह्न को ग्रहण कर लिया गया है।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति के रूप में प्रो. प्रभात कुमार की नियुक्ति हेतु मा. कुलाधिपति महोदय का धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही प्रो. हेमलता के. के पत्र व्यवहार से सम्बन्धित बिन्दु 1–6 का खण्डन करते हुए उनके कृत्यों की भर्त्सना की। इन सभी बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुए प्रबन्ध मण्डल का यह निर्णय है कि प्रो. हेमलता के. तत्काल प्रभाव से अपने मूल पद एवं विभाग में अपनी सेवाएं दें। इसके साथ ही प्रबन्ध मण्डल निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर जांच के आदेश देता है–

1. **दिनांक 02–07–2025 की आपराधिक घटना के जिम्मेदार कर्मचारी/व्यक्ति कौन हैं? इसकी सी.सी.एस. रूल्स के तहत जांच की जाए।**
2. **समविश्वविद्यालय की वेबसाइट से किसके आदेश से कुलाधिपति की तस्वीर एवं उनका नाम हटाया गया?**
3. **कुलाधिपति के हस्ताक्षरों की फॉरेंसिक जांच के आदेश किसने दिये? समविश्वविद्यालय के किस नियम के अनुसार यह आदेश दिये गये? फॉरेंसिक जांच के नाम पर एवं मिथ्या पत्र निर्गत कर जो भ्रम की स्थिति फैलाने में शामिल थे, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हों या कर्मचारी संलिप्त हों।**
4. **प्रो. हेमलता के. द्वारा अनुशासनहीन व्यवहार एवं समविश्वविद्यालय के विपरीत लिए गये निर्णयों की जांच के लिए समविश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए।**

बिन्दु 01–03 की विस्तृत जांच हेतु त्रिसदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाए, जो कि एक माह के भीतर सी0सी0एस0 रूल्स के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस त्रिसदस्यीय समिति में एक लीगल एक्सपर्ट और एक रिटायर्ड आई.पी.एस. अधिकारी होगा तथा कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

प्रस्ताव संख्या 04

डॉ0 सुनील कुमार, कुलसचिव को तत्कालीन कुलपति (कार्यवाहक) प्रो0 हेमलता के. द्वारा दिये गये कार्यमुक्ति पत्र के सम्बन्ध में एवं मान्य कुलाधिपति जी द्वारा डॉ. सुनील कुमार के प्रत्यावेदन उपरान्त पुनः स्थापित एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रकरण पर विचार–विमर्श किये जाने के उपरान्त निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ0 सुनील कुमार को तत्कालीन कुलपति (कार्यवाहक) प्रो0 हेमलता के. द्वारा दिनांक 02.07.2025 की अपराह्न को जारी पत्र के अनुसार इन्हें मूल संस्था (डी0ए0वी0 पी0जी0, कालेज–देहरादून) के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया था। डॉ0 सुनील कुमार के द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 03.07.2025 को एक प्रत्यावेदन माननीय कुलाधिपति श्री एस0के0 आर्य जी को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रेषित पत्र में माननीय कुलाधिपति जी द्वारा डॉ0 सुनील कुमार को कुलसचिव पद पर कार्य करने एवं सम्बन्धित प्रकरण को आगामी प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत कर उस पर निर्णय लिये जाने हेतु आदेशित किया गया था। इस संदर्भ में यह भी विदित है कि पूर्व कुलपति प्रो. रूपकिशोर शास्त्री द्वारा 22.10.2022 को इसी प्रकार से डॉ. सुनील कुमार को उनके मूल संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जा चुका था। जिसके उपरान्त डॉ. सुनील कुमार द्वारा तत्कालीन कुलाधिपति डॉ. सत्यपाल सिंह को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था। तत्कालीन कुलाधिपति महोदय ने भी उनके प्रत्यावेदन पर विचार कर उन्हें कुलसचिव पद पर बने रहने हेतु कुलपति को निर्देशित किया था। वर्तमान समय में डॉ. सुनील कुमार मान्य कुलाधिपति जी के आदेशानुसार प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक के निर्णय तक कुलसचिव के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल का निर्णय है कि चूंकि कुलसचिव पद पर चयन का अंतिम निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया जाता है। अतः कार्यवाहक कुलपति को उन्हें हटाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुलसचिव डॉ. सुनील कुमार पर चल रही एक पक्षीय जांच की लिखित सूचना तथा अपना पक्ष रखने का प्रमाण नहीं पाये जाने पर तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति के निर्णय को निरस्त करते हुए डॉ. सुनील कुमार को कुलसचिव के पद पर बने रहने का अनुमोदन किया।

कुलपति जी ने सदन को सूचित किया कि डॉ. विपुल शर्मा, प्रोफेसर एवं संकायाध्यक्ष, इलैक्ट्रॅानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय, गुरुकुल

कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा दिनांक 12.07.2025 एवं 19.07.2025 को समविश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम से स्वहस्ताक्षरी दो पत्र निर्गत किये गये। जो कि अनुशासनहीनता और प्रशासनिक अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। डॉ. विपुल शर्मा को 07.07.2025 तथा 24.07.2025 को चेतावनी पत्र एवं अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया गया। उन्हें आदेशित किया गया कि वह अपने संकाय एवं मूल पद का निर्वहन करें। कुलपति प्रो. प्रभात कुमार द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की पुष्टि की गई एवं दोनों ही चेतावनी पत्रों को उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में दर्ज किया जाए। प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुलपति को इस संदर्भ में साथ ही वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर जांच समिति बनाने हेतु एवं कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाने हेतु अधिकृत किया गया। इसके साथ ही प्रबन्ध मण्डल ने यह भी कहा कि डॉ. विपुल शर्मा के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना प्रबन्ध मण्डल को प्रदान करें।

प्रस्ताव संख्या 05 **समविश्वविद्यालय में तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति जी के आदेशानुसार डॉ0 राकेश कुमार, प्रोफेसर, मनोविज्ञान को वित्ताधिकारी (कार्यवाहक) के अतिरिक्त दायित्वों को दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में वित्ताधिकारी के अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन कर रहे प्रो0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 31.01.2025 को उक्त दायित्वों से त्यागपत्र दिये जाने के कारण तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति जी द्वारा डॉ. राकेश कुमार, प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग को कार्यवाहक वित्ताधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉ. राकेश कुमार ने दिनांक 12.02.2025 को कार्यभार ग्रहण किया। प्रस्ताव सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल सम्पुष्टि करता है।

प्रस्ताव संख्या 06 **माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पेटिशन (SB) No.20/2023 रूपकिशोर शास्त्री बनाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य में पारित आदेश 13.01.2023 में Ombudsman/Observer जस्टिस वी. के. बिष्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई।**

जस्टिस वी. के. बिष्ट द्वारा सभी पक्षकारों को लम्बी सुनवाई के बाद 14.02.2025 को अंतिम निर्णय आदेश पारित किया गया।

CONSIDERATION/FINDING

The actions taken by the Sponsoring Body with respect to the removal of Dr. Satya Pal Singh, appointment of Shri Sudarshan Sharma and the reinstatement of Dr. Roop Kishor Shastri by Shri Sudarshan Sharma have already been dealt with in the present order. The powers and functions of each of the bodies, including the Sponsoring Body, the Chancellor and the Vice Chancellor are clearly enshrined in the Memorandum of Association, 2019 and ought to be followed by the parties. However, the jurisdiction vested in me vide order dated 13.01.2023 does not allow me to issue restraining orders against the parties herein. I can only make observations and adjudicate the legality and implementation of the actions already taken by the parties and approve or disapprove of the same. An action that has not come into existence till the existence of this Ombudsman, which shall end after the pronouncement of this order, is beyond the jurisdiction vested in me.

Apart from the issues already discussed and decided in the order, no other instances or actions by the Sponsoring Body has been brought before me. The allegations with respect to alienation of the land belonging to the University even though contended has not been fleshed out by the University by way of documents and evidence. Even though the issues raised by the University, with respect to the alienation of the properties of the University are serious, the determination of the action in the same can be taken by the competent authority, same is beyond the jurisdiction of this Ombudsman.

Interveners also filed representations. While deciding the issues I considered their representations also. No separate orders are being passed on their representations.

A copy of this order along with complete order sheet and record of the case shall be handed over to the Registrar, Gurukul Kangri Deemed to be University today itself.

Justice V.K. BIST
(Retd Chief Justice)
Observer/Ombudsman
Date : 14-02-2025

उक्त प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 07 **समविश्वविद्यालय के कुलपति के निजी सचिव श्री शशिकान्त को प्रबन्ध मण्डल की 17वीं बैठक के प्रस्ताव 05.05.2021 के प्रस्ताव संख्या 07 के अनुसार एम्स ऋषिकेश हेतु प्रतिनियुक्ति पर कार्यमुक्त कर दिया गया था। 14.06.2023 को श्री शशिकान्त ने अपने मूल पद निजी सचिव, कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय पर पुनः कार्यभार ग्रहण कर लिया है।**

उपरोक्त प्रस्तावानुसार श्री शशिकान्त को प्रमुख निजी सचिव, एम्स ऋषिकेश पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हुए एम्स ऋषिकेश में कार्मिक शशिकान्त पर सी.बी.आई. ने धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, जालसाजी, पद का दुरुपयोग करने हेतु आपराधिक धाराओं में एफ.आई.आर. **RC0072022A0003 District Dehradun PS : ACB Dehradun under IPC 120B r/w 420 and prevention of corruption (Amendement Act, 2018 under PC Act 1988 13(2) r/w 13 (1) (d) dated 20-04-2022** दर्ज की गई।

Previous Approval of Competent Authority under Section 17-A of Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 ds F.No. AIIMS/RISH/201/001/6025/3799, Confidential 29-03-2022 को डायरेक्टर एम्स द्वारा मुकदमें की अनुमति दी गई। इसी क्रम में समविश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रो. सोमदेव शतान्शु द्वारा मई, 2024 में प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में सी.बी.आई. को उपरोक्त धाराओं में कार्मिक शशिकान्त शर्मा पर आपराधिक धाराओं में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई। सम्बन्धित कार्मिक समविश्वविद्यालय में निजी सचिव, कुलपति के पद पर कार्यरत चले आ रहे हैं। सूच्य हो कि सम्बन्धित कार्मिक पर आज दिनांक तक सी.सी.एस. रूल्स के तहत कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री शशिकान्त शर्मा, निजी सचिव, कुलपति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए तथा इन्हें किसी गैर लाभकारी विभाग से सम्बद्ध किया जाए। इसके साथ ही एक त्रिसदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाए, जो कि एक माह के भीतर सी0सी0एस0 रूल्स के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस त्रिसदस्यीय समिति में एक लीगल एक्सपर्ट और एक रिटायर्ड आई.पी.एस. अधिकारी होगा तथा कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
कुलपति कार्यालय से गायब रिकॉर्ड की तत्काल जांच कराई जाए।

प्रस्ताव संख्या 08 **समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BOM) में माननीय कुलाधिपति जी द्वारा नामित, प्रायोजक संस्था द्वारा नामित, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रोफेसर एवं वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर के रुप में नये सदस्यों को नामित किये जाने एवं सदस्य के रूप में स्वागत के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2019 के अनुरुप समविश्वविद्यालय में प्रबन्ध मण्डल (BOM) में माननीय कुलाधिपति जी द्वारा नामित सदस्यों डॉ0 एस0एम0 शर्मा, डॉ0 हरि प्रकाश शर्मा एवं डॉ0 प्रतिभा मेहता लुथरा, प्रायोजक संस्थाओं (आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब, आर्य प्रतिनिधि सभा, हरियाणा, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा) के श्री विनय आर्य, श्री अशोक कुमार पुरथी, डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार एवं श्री कृपाल सिंह का कार्यकाल दिनांक 01.07.2025 से तीन वर्ष के लिए होगा तथा वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के रुप में प्रो0 हेमलता के0 एवं प्रो0 सुरेखा राणा, वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में प्रो0 नवनीत कुमार तथा वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर के रुप में डॉ0 मनोज कुमार को मान्य कुलपति जी के आदेशानुसार नामित किया गया है। उपर्युक्त समस्त शिक्षकों/शिक्षिकाओं का कार्यकाल दिनांक 10.07.2025 से दो वर्ष अथवा संकायाध्यक्ष/प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल (जो भी पहले हो) तक होगा।
कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून व हरिद्वार के प्रतिनिधि के रूप में प्रो. हेमन पाठक को माननीय कुलपति जी द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल द्वारा अंकित कर सम्पुष्ट किया गया।

प्रस्ताव संख्या 09 **समविश्वविद्यालय की वित्त समिति (Finance Committee) में प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व में नामित सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर नये सदस्य को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

समविश्वविद्यालय के एम0ओ0ए0 2019 के नियम संख्या 22 के बिन्दु (iii) के अनुसार समविश्वविद्यालय की वित्त समिति (Finance Committee) में प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) द्वारा प्रतिनिधि के रुप में 02 सदस्यों को नामित किया जाता है। जिसमें से 01 सदस्य प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों में से नामित किया जाना है। जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

अतः समविश्वविद्यालय के एम0ओ0ए0 2019 के अनुसार समविश्वविद्यालय की वित्त समिति (Finance Committee) में प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) द्वारा प्रतिनिधि के रुप में एक सदस्य जो कि वर्तमान में प्रबन्ध मण्डल का सदस्य हो, को वित्त समिति हेतु सदस्य नामित किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को सम्पूर्ण पत्रावली के साथ 18.08.2025 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 10 **समविश्वविद्यालय में दिनांक 27.05.2023, 16.08.2023, 12.07.2024 एवं 23.11.2024 को हुई शिक्षा पटल की बैठक की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में दिनांक दिनांक 27.05.2023, 16.08.2023, 12.07.2024 एवं 23.11. 2024 को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में शिक्षा पटल की बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक की कार्यवाही संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को सम्पूर्ण पत्रावली के साथ 18.08.2025 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 11 **समविश्वविद्यालय में दिनांक 21.03.2025 को परिसंचरण (Circulation) के माध्यम से हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही के सम्पुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में परिसंचरण (Circulation) के माध्यम से हुई वित्त समिति की बैठक की गयी। उक्त बैठक की कार्यवाही सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को सम्पूर्ण पत्रावली के साथ 18.08.2025 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 12 **समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कॅरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु स्क्रीनिंग-कम-मूल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति की बैठकों की संस्तुतियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों/शिक्षिकाओं के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन-2010 एवं 2018 के अनुसार कॅरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु स्क्रीनिंग-कम-मूल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति की बैठकों की संस्तुतियों के अनुसार निम्न शिक्षक/शिक्षिकाओं की उनके सम्मुख अंकित पदों पर प्रोन्नति की गयी है।

यह पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त मेल में अंकित फाइल संख्या 8-6/2018(DU)-Part(1), June 2024 के आलोक में की गई है।

अनुरक्षण अनुदान्तर्गतः-

क्र0 सं0	नाम शिक्षक/शिक्षिकाएं	विभाग	प्रौन्नत पदनाम
1.	डॉ0 संदीप कुमार	वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल-11)

2.	डॉ0 वेदव्रत	संस्कृत	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
3.	डॉ0 भगवान दास जोशी	ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
4.	डॉ0 सविता	कम्प्यूटर विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
5.	डॉ0 जगराम मीणा	रसायन विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
6.	डॉ0 प्रशान्त तेवतिया	रसायन विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
7.	डॉ0 रविन्द्र कुमार	रसायन विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
8.	डॉ0 दीपक सिंह	मनोविज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
9.	डॉ0 नितिन भारद्वाज	वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
10.	डॉ0 दीनदयाल	वेद	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
11.	डॉ0 ममता यादव	संगीत	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
12.	डॉ0 सरिता नेगी	वादन	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
13.	डॉ0 अजित सिंह तोमर	हिन्दी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
14.	डॉ0 निशा शर्मा	हिन्दी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
15.	डॉ0 निशा यादव	हिन्दी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
16.	डॉ0 बबलू वेदालंकार	दर्शनशास्त्र	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
17.	डॉ0 भारत वेदालंकार	दर्शनशास्त्र	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
18.	डॉ0 कार्तिकेय कुमार गुप्ता	वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)
19.	डॉ0 सुहास	रसायन विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)
20.	डॉ0 राजदीप मलिक	रसायन विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)
21.	डॉ0 मदनलाल जाट	पुस्तकालय	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (लेवल–11) से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (लेवल–12)
22.	डॉ0 मौहर सिंह मीणा (अवैतनिक अवकाश पर)	संस्कृत	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
23.	डॉ0 मनीला	रसायन विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
24.	डॉ0 रीतू अरोड़ा	गणित एवं सांख्यिकी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
25.	डॉ0 अजेन्द्र कुमार	गणित एवं सांख्यिकी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
26.	डॉ0 हरेन्द्र कुमार	गणित एवं सांख्यिकी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
27.	डॉ0 सगराम वर्मा	गणित एवं सांख्यिकी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
28.	डॉ0 सुनीता रानी	मनोविज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
29.	डॉ0 गगन माटा	जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
30.	डॉ0 विनोद कुमार	जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
31.	डॉ0 विपुल भट्ट	अर्थशास्त्र	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
32.	डॉ0 उद्यम सिंह	योग	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)

33.	डॉ0 बबीता शर्मा	दर्शनशास्त्र	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
34.	डॉ0 ऋचा सैनी	भौतिकी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
35.	डॉ0 महेन्द्र सिंह	कम्प्यूटर विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
36.	डॉ0 कृष्ण कुमार	कम्प्यूटर विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
37.	डॉ0 श्वेतांक	कम्प्यूटर विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
38.	डॉ0 वरिन्दर विक्र	वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
39.	डॉ0 अनिल कुमार धीमान	पुस्तकालय	सूचना वैज्ञानिक (लेवल–12) से सूचना वैज्ञानिक (लेवल–13ए)
40.	डॉ0 अरुण कुमार	मनोविज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर (स्टेज–04) से प्रोफेसर (स्टेज–05)
41.	डॉ0 पवन कुमार	भौतिकी	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14)
42.	डॉ0 मनोज कुमार	गणित एवं सांख्यिकी	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14)
43.	डॉ0 निधि हाण्डा	गणित एवं सांख्यिकी	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14)
44.	डॉ0 राजकुमार	कम्प्यूटर विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14)
45.	डॉ0 नीना गुप्ता	कम्प्यूटर विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14)
46.	डॉ0 संगीता मदान	जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14)
47.	डॉ0 राकेश भूटियानी	जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14)
48.	डॉ0 नितिन काम्बोज	जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14)
49.	डॉ0 आभा शुक्ला	रसायन	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14)
50.	डॉ0 ऋषि कुमार शुक्ला	रसायन	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14)
51.	डॉ0 दीपा गुप्ता	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14)
52.	डॉ0 कुशवाहा दिलीप कुमार	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए) से प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14)
53.	डॉ0 ब्रह्मदेव	संस्कृत	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिश्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
54.	डॉ0 सुरेखा राणा	प्रबन्ध अध्ययन	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
55.	डॉ0 विनोद कुमार सिंह	प्रबन्ध अध्ययन	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
56.	डॉ0 पंकज मदान	प्रबन्ध अध्ययन	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
57.	डॉ0 देवेन्द्र सिंह मलिक	जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
58.	डॉ0 नमिता जोशी	जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
59.	डॉ0 नवनीत	वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
60.	डॉ0 अम्बुज कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त)	अंग्रेजी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
61.	डॉ0 हेमलता के.	अंग्रेजी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
62.	डॉ0 मुदिता अग्निहोत्री	अंग्रेजी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)

63.	डॉ0 मंजुषा कौशिक	अंग्रेजी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
64.	डॉ0 लक्ष्मी प्रसाद पुरोहित	भौतिकी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
65.	डॉ0 कर्मजीत भाटिया	कम्प्यूटर विज्ञान	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
66.	डॉ0 निपुर सिंह	कम्प्यूटर विज्ञान	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
67.	डॉ0 प्रभात कुमार	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
68.	डॉ0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
69.	डॉ0 रेणु शुक्ला	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
70.	डॉ0 सत्यदेव निगमालंकार	श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
71.	डॉ0 सुचित्रा मलिक (सेवानिवृत्त)	हिन्दी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
72.	डॉ0 सीमा शर्मा	गणित एवं सांख्यिकी	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)
73.	डॉ0 दिनेश चन्द्र शास्त्री (अवैतनिक अवकाश पर)	वेद	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को सम्पूर्ण पत्रावली के साथ 18.08.2025 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 13

समविश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु स्क्रीनिंग–कम–मूल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति की बैठकों की संस्तुतियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी शिक्षको/शिक्षिकाओं के कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु स्क्रीनिंग–कम–मूल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति की बैठकों की संस्तुतियों के अनुसार निम्न शिक्षक/शिक्षिकाओं की उनके सम्मुख अंकित पदों पर प्रोन्नति की गयी है।

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गतः–

क्र0 सं0	नाम शिक्षक/शिक्षिकाएं	विभाग	प्रौन्नत पदनाम
1.	श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय	एम0ई0 (एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
2.	श्री ऋषि कुमार प्रजापति	एम0ई0 (एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–10) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11)
3.	डॉ0 सुयश भारद्वाज	सी0एस0सी0 (एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–01) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–02)
4.	डॉ0 अजय मलिक	शारीरिक शिक्षा एवं खेल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)
5.	डॉ0 देवेन्द्र सिंह	अनुप्रयुक्त विज्ञान (एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)
6.	डॉ0 लोकेश कुमार जोशी	अनुप्रयुक्त विज्ञान (एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)
7.	डॉ0 संजीव कुमार लाम्बा	एम0ई0 (एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)
8.	डॉ0 अजय कुमार	अनुप्रयुक्त विज्ञान (एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)
9.	डॉ0 निशान्त कुमार	सी0एस0सी0 (एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)
10.	डॉ0 विपिन कुमार	भेषज विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)
11.	डॉ0 कपिल कुमार गोयल	भेषज विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)
12.	डॉ0 अश्वनी कुमार	भेषज विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)

13.	डॉ0 विनोद नौटियाल	भेषज विज्ञान	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12)
14.	डॉ0 विवेक गोयल	अनुप्रयुक्त विज्ञान (एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–02) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–03)
15.	श्री अनुज कुमार शर्मा	ई0सी0ई0 (एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–02) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–03)
16.	श्री शिव कुमार सिंह	ई0सी0ई0 (एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–02) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–03)
17.	श्री नमित खण्डुजा	सी0एस0सी0 एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–02) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–03)
18.	डॉ0 तनुज कुमार गर्ग	ई0सी0ई0 (एफ0ई0टी0)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–12) से एसोसिएट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–13ए)
19.	डॉ0 पूनम पैन्यूली	प्रबन्ध अध्ययन	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–03) से एसोसिएट प्रोफेसर (स्टेज–04)
20.	डॉ0 बिन्दु अरोड़ा	प्रबन्ध अध्ययन	प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15)

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को सम्पूर्ण पत्रावली के साथ 18.08.2025 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 14

समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

अनुरक्षण अनुदान में स्थायी रुप से कार्यरत निम्न शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या **1-/2020 (JCRC) दिनांक 09 जून 2010 के** अनुसार MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु यथानियम व प्रक्रियानुसार कार्यवाही की गयी है।

अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत :–

क्र0सं0	नाम	पदनाम	I/II/II MACP	MACP देय तिथि	देय वेतनमान
1.	श्री उदित कुमार	लैब असि0	II	26.03.2023	Level-06, Rs. 35400-112400
2.	श्री शिव कुमार मौर्य	लाइब्रेरी अटै0	I	10.04.2023	Level-02, Rs. 19900-63200
3.	श्री मनीष अग्रवाल	सिस्टम एनालिस्ट	I	25.04.2023	Level-11, Rs. 67700-208700
4.	श्री राजकिशोर राठौड़	पुस्त0 संहा0	I	10.04.2023	Level-05, Rs. 29200-92300
5.	डॉ0 मनोज कुमार	क्यूरेटर	II	07.04.2023	Level-12, Rs. 78800-209200
6.	श्री सचिन कु0 कौशिक	प्रोफे0 असि0	I	10.04.2023	Level-07, Rs. 44900-142400
7.	श्री अरुण कुमार	लैब असि0 (रसायन)	I	12.04.2023	Level-05, Rs. 29200-92300
8.	श्री गोपाल सिंह राणा	तक0सहा0 (IT)	I	22.04.2023	Level-06, Rs. 35400-112400
9.	श्री यशपाल सिंह तोमर	सिस्टम एनालिस्ट	I	28.07.2021	Level-11, Rs. 67700-208700
10.	श्री विपिन कुमार	गैलरी अटै0	I	10.04.2023	Level-02, Rs. 19900-63200
11.	श्रीमती लीलावती	एम0टी0एस0	II	09.04.2023	Level-03, Rs. 21700-69100
12.	श्री दीपक आनन्द	व0तक0सहा0 (IT)	II	26.03.2023	Level-08, Rs. 47600-151100
13.	श्री कैलाश चन्द्र भट्ट	विद्युतकार	I	12.04.2023	Level-05, Rs. 29200-92300
14.	श्री राजेश कुमार	एम0टी0एस0	II	18.08.2023	Level-03, Rs. 21700-69100
15.	श्री जयचन्द	एम0टी0एस0	II	02.08.2023	Level-03, Rs. 21700-69100

16.	श्री कमल सिंह	एल0डी0सी0	III	17.01.2024	Level-04, Rs. 25500-81100
17.	श्रीमती स्वाति सिंघल	तकनीकि सहायक (IT)	I	21.04.2024	Level-06, Rs. 35400-112400
18.	श्री रजनीश भारद्वाज	लैब असिस्टेन्ट	II	01.08.2023	Level-06, Rs. 35400-112400
19.	श्री वीरेन्द्र कुमार	लैब अटैन्डेन्ट	I	10.04.2023	Level-02, Rs. 19900-63200

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को सम्पूर्ण पत्रावली के साथ 18.08.2025 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 15

समविश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु यथानियम व प्रक्रियानुसार कार्यवाही की गयी है।

स्ववित्तपोषित योजनान्र्गत :–

क्र0सं0	नाम	पदनाम	I/II/II MACP	MACP देय तिथि	देय वेतनमान
1.	श्री कुलदीप कुमार	एल0डी0सी0	I	10.04.2023	Level-03, Rs. 21700-69100
2.	स्व0 श्री हेमन्त कुमार	एम0टी0एस0	II	30.09.2023	Level-03, Rs. 21700-69100
3.	श्री अनिरुद्व कुमार यादव	लैब टैक्नी0	I	13.04.2023	Level-05, Rs. 29200-92300
4.	श्री अपूर्व कौशिक	सिस्टम एनालिस्ट	I	10.04.2023	Level-11, Rs. 67700-208700
5.	श्री अर्जुन सिंह	एम0टी0एस0	II	18.08.2023	Level-03, Rs. 21700-69100
6.	श्रीमती पारुल सिंह	एल0डी0सी0	I	03.11.2023	Level-03, Rs. 21700-69100

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि प्रस्ताव को सम्पूर्ण पत्रावली के साथ 18.08.2025 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 16

समविश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारी स्व0 श्री हेमन्त कुमार के देहावसान उपरान्त देय MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत स्व0 श्री हेमन्त कुमार को MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु यथानियम व प्रक्रियानुसार कार्यवाही की गयी है। अतः स्व0 श्री हेमन्त कुमार को देय तिथि से MACP का लाभ दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि प्रस्ताव को सम्पूर्ण पत्रावली के साथ 18.08.2025 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 17

समविश्वविद्यालय में विभिन्न शिक्षकेतर वर्ग के पदों पर हुए पदोन्नति के लिफाफों को खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत शिक्षकेत्तर वर्ग के कुछ पदों पर निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नति का प्रावधान होता है, जो कि योग्यता, वरिष्ठता एवं टंकण परीक्षा के आधार पर पदों के अनुसार होती है। वर्तमान में समविश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी, प्रोफेशनल असिस्टेन्ट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेन्ट, सहायक एवं उच्च श्रेणी लिपिक पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना था जिस हेतु दिनांक 21.07.2024 एवं 24.07.2024 को

समविश्वविद्यालय रिक्रुटमेन्ट रुल्स 2020 के अनुसार विभागीय परीक्षा, वरिष्ठता–कम फिटनेस एवं वार्षिक मूल्यांकन (ए.सी.आर.) ग्रेडिंग के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कर योग्य कर्मचारियों का चयन किया गया। जिनके लिफाफे सीलबन्द हैं।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि प्रस्ताव को सम्पूर्ण पत्रावली के साथ 18.08.2025 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 18 **समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध) आधार पर वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों की संपुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में AICTE से स्वीकृत पाठ्यक्रम M.Tech तथा अन्य विभागों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए (स्ववित्तपोषित नियमावली–2020 के बिन्दु 3.8 के आलोक में मान्य कुलपति महोदया की अध्यक्षता में) दिनांक 13.08.2024 एवं 14.08.2024 को वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से निम्न शिक्षकों की नियुक्ति माह अगस्त 2024 से आरम्भिक रुप से छः माह हेतु अनुबन्ध आधार पर की गयी :–

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गतः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	देय फिक्स वेतन प्रतिमाह	विभाग
1	श्री कुलदीप	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)	रु.40,000 / –	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग
2	श्री शशांक शर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)	रु.40,000 / –	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग
3	श्री अभिशान्त शर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)	रु.40,000 / –	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग
4	श्री मुकेश चन्द्र आर्य	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)	रु.40,000 / –	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग
5	श्री लोकेश भारद्वाज	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)	रु.40,000 / –	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
6	श्री अवरिल अवस्थी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)	रु.40,000 / –	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
7	श्री संजय सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)	रु.40,000 / –	इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यू0 इंजी0
8	डॉ0 प्रशान्त कौशिक	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)	रु.40,000 / –	अंग्रेजी, अनुप्रयुक्त विज्ञान
9	श्री प्रदीप सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अनुबन्ध)	रु.40,000 / –	गणित, अनुप्रयुक्त विज्ञान

उपरोक्त शिक्षकों की छः माह की अवधि माह फरवरी 2025 में पूर्ण होने तथा विभागीय शिक्षण कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए पूर्व में जारी नियुक्त पत्रों के तारतम्य में अस्थायी रुप से अनुबन्ध सेवा अवधि को दिनांक 31.05.2025 तक बढ़ाया गया तथा पुनः इनका कार्यकाल 31.12.2025 तक बढ़ाया गया है।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत एवं अंकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 **समविश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति, मान्य कुलपति एवं वित्त अधिकारी के रुप में पूर्व में कार्यरत अधिकारियों के अंकन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के रुप में महत्वपूर्ण पदों पर माननीय कुलाधिपति, मान्य कुलपति एवं वित्त अधिकारी के रुप में जिन महानुभाव द्वारा पदभार ग्रहण किया है। उनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि	नियुक्ति का विवरण
1.	डॉ0 सत्यपाल सिंह	मान्य कुलाधिपति	12.02.2024 से 11.02.2025 तक	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8-1/2024-U.3A दिनांकित 09.02. 2024
			12.02.2025 से 11.05.2025 तक	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8-1/2024-U.3A दिनांकित 12.02. 2025
1.	प्रो0 सोमदेव शतान्शु	मान्य कुलपति (कार्यवाहक)	29.10.2022 से 28.05.2024 तक	मान्य कुलाधिपति जी के पत्र संख्या 8 / 2022–23 / 922 दिनांक 29.10.2022

2.	डॉ0 अम्बुज कुमार शर्मा	मान्य कुलपति (कार्यवाहक)	29.05.2024 से 31.07.2024 तक	मान्य कुलाधिपति जी के पत्र संख्या 75/2024–25 दिनांकित 25.05.2024
3.	डॉ0 हेमलता के.	मान्य कुलपति (कार्यवाहक)	01.08.2024 से 31.01.2025 तक	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8-5/2023-U.3(A) दिनांकित 02.08.2024
			01.02.2025 से 30.04.2025 तक	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8-5/2023-U.3(A) दिनांकित 07.02.2025
			01.05.2025 से 05.07.2025 तक	माननीय कुलाधिपति जी के पत्र संख्या Chancellor/GK/DU/2025-26 दिनांकित 05.05.2025

प्रबन्ध मण्डल द्वारा अंकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 **समविश्वविद्यालय में कुछ शिक्षकों के अन्य संस्थानों में नियुक्त होने पर लियन सहित अवैतनिक अवकाश के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में कुछ स्थायी शिक्षकों के अन्य संस्थानों में नियुक्ति होने के कारण उनके द्वारा नियमानुसर लियन सहित अवैतनिक अवकाश लिया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ0 हेमवती नन्दन	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भौतिकी)	12.07.2023 से 11.07.2024 तक
2.	डॉ0 मौहर सिंह मीणा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संस्कृत)	11.07.2023 से 10.07.2025 तक
3.	श्री अरुण सिंह अवाना	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अंग्रेजी)	27.06.2023 से 26.06.2025 तक

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि सम्बन्धित शिक्षकों को उनका लियन समाप्त होने सम्बन्धी पत्र जारी कर दिये जाएं।

प्रस्ताव संख्या 21 **समविश्वविद्यालय में कुछ शिक्षकों के अन्य संस्थानों में नियुक्त होने पर इस समविश्वविद्यालय की स्थायी सेवाओं से त्याग–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में कुछ स्थायी शिक्षकों के अन्य संस्थानों में नियुक्ति होने के कारण उनके द्वारा नियमानुसर लियन सहित अवैतनिक अवकाश लिया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	समविश्वविद्यालय की सेवा त्याग–पत्र दिये जाने की तिथि
1.	डॉ0 हेमवती नन्दन	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भौतिकी)	11.07.2022 (अपराह्न)
2.	डॉ0 विनय कुमार	प्रोफेसर (संस्कृत)	21.06.2023 (अपराह्न)
3.	डॉ0 वरुण बक्शी*	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अंग्रेजी)	25.08.2024 (अपराह्न)

* माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल में डॉ0 वरुण बक्शी द्वारा दायर रिट पटीशन संख्या (S/B) 433 of 2024 के निर्णयानुसार दिनांक 24.07.2024 को दिये गये प्रत्यावेदन के अनुसार त्याग–पत्र स्वीकार किया गया।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि सम्बन्धित शिक्षकों को उनका लियन समाप्त होने सम्बन्धी पत्र जारी कर दिये जाएं।

प्रस्ताव संख्या 22 **समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदानान्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 05.05.2021 के प्रस्ताव संख्या 11 में हुए निर्णय के अनुसार समस्त कार्यरत स्थायी शिक्षकों/कर्मचारियों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना चाहिए कि वह अपने सेवा काल में एक बार घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे फिक्स चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना चाहते हैं अथवा वास्तविक चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना चाहेंगें तथा कर्मचारियों द्वारा एक बार दिया गया घोषणा पत्र उनके सम्पूर्ण सेवाकाल के लिये लागू

रहेगाा तथा इसको बीच में किसी भी अवस्था में परिवर्तित नही किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समस्त स्थायी शिक्षकों/कर्मचारियों तत्समय विकल्प पत्र ले लिया गया था।

मान्य कुलपति जी द्वारा शिक्षक/कर्मचारी यूनियन की मांग पर अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत कार्यरत स्थायी शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों से एक बार पुनः चिकित्सा प्रतिपूर्ति का विकल्प परिवर्तित करने का अवसर इस आशय से प्रदान किया है कि यदि प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस प्रस्ताव का अस्वीकार किया जाता है तो सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारी से विकल्प को वापस ले लिया जायेगा। उक्त के आधार पर कुछ शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा पूर्व का विकल्प परिवर्तित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह प्रस्ताव है कि चूंकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा वित्तीय वर्ष में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत स्थायी कर्मचारियों को ही प्राप्त होती है। कर्मचारियों की मांग है कि पूर्व की भांति अनुरक्षण अनुदान में कार्यरत कर्मचारियों से वित्तीय वर्ष में एक विकल्प की सुविधा प्रदान की जाए। इससे विश्वविद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। कर्मचारी एवं उनके परिवार लाभान्वित होंगे।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति (फिक्स) को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23

समविश्वविद्यालय के शिक्षक डॉ0 हरीश चन्द्र द्वारा मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर वाद के आलोक में मान्य न्यायालय के आदेश दिनांक 23.10.2024 के क्रम में दिये गये प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय में स्थायी रुप से असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉ0 हरीश चन्द्र के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल में अपने समविश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में दायर याचिका संख्या WPSB No.446 of 2023 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश दिनांक 23.10.2024 के क्रम में डॉ0 हरीश चन्द्र के उक्त प्रकरण को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाये।

18.08.2025 को होने वाली प्रबन्ध मण्डल की बैठक में नियमों के साथ प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 24

समविश्वविद्यालय के शिक्षक डॉ0 हरीश चन्द्र के पूर्व संस्था के वेतनमान एवं मूलवेतन को सुरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय में स्थायी रुप से असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉ0 हरीश चन्द्र इस समविश्वविद्यालय में नियुक्ति से पूर्व हेमवती नन्दन बहुगुणा, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गढ़वाल, श्रीनगर (उत्तराखण्ड) में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर स्थायी रुप से कार्यरत थे। गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार के वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद (स्टेज–01) पर इनके द्वारा कार्यभार दिनांक 13.11.2018 को ग्रहण किया गया था। डॉ0 हरीश चन्द्र की पूर्व संस्था में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद (स्टेज–02) पर प्रोन्नति गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त दिनांक 06.01.2024 से हुई। डॉ0 हरीश चन्द्र द्वारा अपने प्रोन्नत वेतनमान तथा इस समविश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्राप्त कर रहे मूलवेतन को सुरक्षित रखे जाने हेतु गठित समिति द्वारा संस्तुति की गयी है कि **"इनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्व की संस्था में प्राप्त वेतन को सुरक्षित किया जा सकता है, परन्तु वेतनमान सुरक्षित रखे जाने का कोई भी नियम नहीं है। डॉ0 हरीश चन्द्र के वेतनमान को सुरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में Competent Authority द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाना है।"**

प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या 25 **डॉ0 आरती भारद्वाज के निजी सेवा के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में पूर्व में चयनित डॉ0 आरती भारद्वाज के नियुक्ति प्रकरण के सम्बन्ध में इनके द्वारा जो निजी शिक्षण संस्थाओं की सेवाओं के अनुभव के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 03 (6) में सर्वसम्मति से निजी शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं में की गयी सेवाओं को जोड़े जाने हेतु 09 बिन्दुओं के अनुसार लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त प्रपत्रों को पूर्ण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे। उक्त प्रेषित किये गये पत्र के आलोक में डॉ0 आरती भारद्वाज द्वारा प्रेषित किये गये प्रपत्रों के सम्बन्ध में प्रो0 एम0आर0 वर्मा की अध्यक्षता में गठन किया गया था। समिति द्वारा दिनांक 03.01.2022 को प्रेषित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

इस प्रकरण में यह विदित कराना आवश्यक है कि इनकी एवं डॉ. हरिश्चन्द्र तथा डॉ. निशान्त राय के पूर्व संस्था की सेवाओं के सम्बन्ध में सत्यापन हेतु प्रो0 डी0 एस0 मलिक की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट अभी तक समविश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हो पाई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में समविश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

प्रस्ताव को 18.08.2025 को होने वाली प्रबन्ध मण्डल की बैठक में नियमों के साथ प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 26 **समविश्वविद्यालय के शिक्षक डॉ0 सत्येन्द्र कुमार राजपूत, प्रोफेसर (अनुबन्ध) द्वारा मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर वाद के आलोक में मान्य न्यायायलय के आदेश दिनांक 04.09.2024 के क्रम में दिये गये प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजना अन्तर्गत भेषज विज्ञान विभाग में फिक्स वेतन पर प्रोफेसर के रुप में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत डॉ0 सत्येन्द्र कुमार राजपूत के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल में समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत भेषज विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हेतु हुए साक्षात्कार/चयन समिति का लिफाफा खोले जाने तथा भेषज विज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष बनाये जाने के सम्बन्ध में दायर याचिका संख्या WPSB No.540 of 2024 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश दिनांक 04.09.2024 के क्रम में मान्य उच्च न्यायालय द्वारा डॉ0 सत्येन्द्र कुमार राजपूत के उक्त प्रकरण को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाये।

अतः मान्य उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में डॉ0 सत्येन्द्र कुमार राजपूत के एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर पद पर नियुक्ति एवं भेषज विज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष बनाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड का सम्मान करते हुए फिलहाल डॉ. सत्येन्द्र कुमार राजपूत को प्रोफेसर पद पर ही तीन वर्ष का सेवा विस्तार एवं विभागाध्यक्ष पद, भेषज विज्ञान विभाग तत्काल प्रभाव से दिया जाना स्वीकृत हुआ। इसके साथ ही 18.08.2025 को होने वाली प्रबन्ध मण्डल की बैठक में मा. उच्च न्यायालय द्वारा 04.09.2024 को प्रदत्त आदेश के अनुपालनार्थ निर्णय एवं कार्यवाही हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 27 **प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.05.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 अनुसार समविश्वविद्यालय में स्थायी रुप से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्टाफ–वार्ड के अन्तर्गत शुल्क में छूट दिये जाने सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.05.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 के निर्णयानुसार समवविश्वविद्यालय में स्थायी रुप से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्टाफ–वार्ड के अन्तर्गत शुल्क में छूट दिये जाने सम्बन्ध में दिशा–निर्देश बनाये जाने हेतु प्रो0 एल0पी0 पुरोहित की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के बिन्दु निम्नवत् हैः–

1. स्टॉफ वार्ड सुविधा गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार के अनुरक्षण अनुदान योजना एवं स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत सभी शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों को देय होगा।
2. स्टाफ वार्ड सुविधा के अन्तर्गत पी0एच0डी0 एवं डी0लिट कोर्स को छोड़कर अन्य सभी कोर्सों में केवल शिक्षण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की जा सकती है तथा अन्य शुल्क पूर्ण रुप से लिया जा सकता है।
3. स्टाफ वार्ड सुविधा के अन्तर्गत एडमिशन लेने हेतु समविश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों को चिल्ड्रन एजूकेशन अलाउन्स (सी0ई0ए0) की भांति प्रथम दो वयस्क बच्चों (दूसरी अवस्था में जुड़वा सहित) एवं उसकी पत्नी/पति के लिए देय होगा।
4. स्टाफ वार्ड सुविधा केवल एडमिशन के समय समविश्वविद्यालय में कार्यरत स्थायी शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों को ही देय होगी। सेवानिवृत्ति के उपरान्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों को उक्त सुविधा का लाभ नहीं दिया जायेगा।
5. उक्त सुविधा का लाभ लेने के लिए शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा निर्गत स्टाफ वार्ड प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की 18.08.2025 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 28

समविश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी की वरिष्ठता के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी ने डॉ0 हेमन पाठक, प्रोफेसर से अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में प्रेषित शिकायती पत्र के निराकरण के आलोक में प्रो0 रेणु शुक्ला की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा संस्तुति की गयी है कि परिसर के कार्यालय उपस्थिति पंजिका में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी का नाम डॉ0 हेमन पाठक से ऊपर है साथ ही **"महत्वपूर्ण और प्रमाणिक डॉक्यूमेंट्स एवं कार्यभार ग्रहण करने के समय के आधार पर डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी, डॉ0 हेमन पाठक से वरिष्ठ है।"**
इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि इस समविश्वविद्यालय में प्रवक्ता (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) के 02 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक 28.11.1998 की संस्तुति में वरिष्ठताक्रम पर डॉ0 हेमन पाठक प्रथम स्थान पर तथा डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी द्वितीय स्थान पर अंकित है।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की 18.08.2025 को होने वाली बैठक में प्रपत्रों सहित प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 29

समविश्वविद्यालय में सेमेस्टर एवं अन्य परीक्षाओं में ड्यूटी के लिये पारिश्रमिक भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय में सेमेस्टर एवं अन्य परीक्षाओं के केन्द्रों पर संचालित होने वाली परीक्षाओं के लिये विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। पूर्व में परीक्षा ड्यूटी हेतु पारिश्रमिक दिया जाता रहा है। लेकिन कोविड 2019 काल की विषम परिस्थितिओं में परीक्षाऐं ऑनलाईन माध्यम से संपन्न करायी जाती थी। वर्तमान में परीक्षाऐं ऑफलाईन माध्यम से संपन्न करायी जा रही है।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की 18.08.2025 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 30

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F. No. 12-4/2024-U.3 (A) दिनांकित 03.03.2025 के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F. No. 12-4/2024-U.3 (A) दिनांकित 03.03.2025 को समविश्वविद्यालय के प्रायोजक संस्थाओं को (आर्य प्रतिनिधि सभा–पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली) संयुक्त रुप से प्रेषित पत्र में वित्तीय वर्ष 2027–28 तक एम0ओ0ए0 2019 के

अनुसार संचालित करने एवं सम्बन्धित बिन्दुओं/शर्तों को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रस्ताव स्वीकार कर अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 31 **समविश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर चयनित शिक्षकों के सीलबन्द लिफाफों के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति का प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में विज्ञापन संख्या GKV/Estt.-II/01/2021, GK(DU)/Estt.-II/04/2022 एवं GK(DU)/Estt.-II/05/2022 में स्थायी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें शिक्षकों के साक्षात्कार चयन समिति के माध्यम स सम्पन्न करा लिये गये थे। साक्षात्कार के उपरान्त विभिन्न आपत्तियों पर विचार करने हेतु सीलबन्द लिफाफों पर निर्णय लिये जाने के लिए प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.05. 2023 के प्रस्ताव संख्या–11 के अनुसार निम्न समिति का गठन किया गया था –

1. प्रो. श्रवण कुमार शर्मा, अध्यक्ष
2. डॉ. खेमराज भट्ट, सदस्य
3. कुलपति जी द्वारा नामित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सेवानिवृत्त अधिकारी

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की 18.08.2025 को होने वाली बैठक में वैधता सम्बन्धी नियमों के साथ प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 32 **समविश्वविद्यालय में ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत अनुबन्ध आधार पर फिक्स वेतन पर कार्यरत श्री राजेश कुमार पाण्डेय के द्वारा पूर्ण वेतन एवं नियमितिकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत अनुबन्ध आधार पर फिक्स वेतन पर कार्यरत श्री राजेश कुमार पाण्डेय के द्वारा पूर्ण वेतन एवं नियमितिकरण के सम्बन्ध में दिनांक 04.12.2024 को प्रार्थना–पत्र दिया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समविश्वविद्यालय में ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत पूर्व में Tenure/Contract आधार पर स्वीकृत पदों (गैर तकनीकि) पर साक्षात्कार के माध्यम से फिक्स वेतन पर नियुक्ति की गयी थी, जिनका कार्यकाल समय–समय पर बढ़ाया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 35-19/2008 (CU-OBC) Vol.II दिनांकित 19.03.2024 के अनुसार ओ0बी0सी0 अनुदान में प्राप्त पदों का अनुदान अनुरक्षण अनुदान में कर दिया गया है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 8-6/2008 (के0वी0वी0) दिनांकित 06.05.2019 के अनुसार पूर्व में ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृति 08 पदों पर कुछ शर्तों के अधीन नियमित भर्ती हेतु निर्देशित किया है। यू0जी0सी0 के उक्त पत्र में सम्बन्धित पदों हेतु दी गयी शर्तों के आधार पर पूर्व में नियुक्ति की जा चुकी है तथा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार इन्हें न्यूनतम मूलवेतन पर अन्य सभी भत्तों सहित वेतन का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत नियुक्त कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने नियमितिकरण के सम्बन्ध में मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल में दायर वाद संख्या SB No 195, 196, 197, 202 एवं 451 of 2021 में दिनांक 19.11.2024 में हुए निर्णय के अनुसार इनकी नियमितिकरण की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है, परन्तु SB No 496 WPSP-2022 एवं 1402 तथा 590 (WPSP) 2021 में नियमितकरण एवं पूर्ण वेतनमान सम्बन्धित प्रकरण लम्बित है। यू0जी0सी0 द्वारा दिनांक 01.12.2022 को इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ। इस संबंध में यह भी सूच्य है कि पूर्व कुलपति द्वारा इनके प्रकरण में न्यायाधीश महबूब अली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। समिति की संस्तुति प्राप्त होने के बाद ही प्रशासन द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के निर्णय के पश्चात समविश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समिति का गठन मान्य नहीं है। अतः उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूर्व में गठित समितियों द्वारा जो भी निर्णय लिए गये हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। प्रबन्ध मण्डल ने

मा. उच्च न्यायालय के निर्णय का संज्ञान लेते हुए उनके अनुबन्ध की समाप्ति होने के बाद भी उनको दिये जा रहे वेतन एवं सेवाकाल पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इसके साथ ही कुलसचिव कार्यालय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए श्री राजेश कुमार पाण्डेय को स्थापना अनुभाग में उन्हें जो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। ओ.बी.सी ग्रांट में कार्यरत श्री राजेश पाण्डेय (उपकुलसचिव–फिक्स) एवं श्री पंकज कौशिक (सहायक कुलसचिव–शिक्षा अनुभाग – फिक्स वेतन एवं अतिरिक्त कार्यभार जनसंपर्क अधिकारी) के कार्यों/कृत्यों एवं आचरण की समीक्षा करते हुए एवं मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल के अंतिम निर्णय के आलोक में इनका अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से रद्द (निरस्त) किया गया।

प्रस्ताव संख्या 33

समविश्वविद्यालय के अंग गुरुकुल विद्यालय विभाग हरिद्वार एवं देहरादून, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, गुरुकुल इंटर साइंस (पूर्व में यह समविश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य के अधीन हुआ करता था), ज्वालापुर इंटर साइंस, हरेराम आर्य इंटर कॉलेज के स्थायी शिक्षक एवं कर्मचारियों को समविश्वाविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में क्षैतिज आधार पर 2 प्रतिशत स्टाफवार्ड के अन्तर्गत आरक्षण की व्यवस्था किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरिट में 05 प्रतिशत की छूट दिये जाने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 34

समविश्वविद्यालय में पूर्व में एक वाहन (INNOVA) क्रय किया गया था, जो कि 10 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है। इस सम्बन्ध में एक वाहन क्रय किया जाना आवश्यक है जिससे कि समविश्वविद्यालय के अधिकारीगण समविश्वविद्यालय कार्यार्थ विभिन्न संस्थाओं एवं यू.जी.सी., एम.एच.आर.डी. इत्यादि में बैठक हेतु आवागमन सुगमता से कर सकें। अतः वाहन क्रय किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की 18.08.2025 को होने वाली बैठक में रखा जाए।

प्रस्ताव संख्या 35

समविश्वविद्यालय के कुलपति को विभिन्न कार्यों हेतु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं यू.जी.सी. इत्यादि राष्ट्रीय संस्थाओं तथा प्रायोजित संस्थाओं के पदाधिकारियों से वार्ता एवं भेंट हेतु सम्पर्क करने एवं समविश्वविद्यालय एक अन्य परिसर कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून में भी शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों से भी समय–समय पर वार्ता एवं बैठक हेतु समविश्वविद्यालय के कुलपति के दो कैम्प कार्यालय (1. दिल्ली 2. देहरादून परिसर) स्थापित

किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जिससे कि समविश्वविद्यालय के कार्य सुगमतापूर्वक किये जा सकें। इस सम्बन्ध में विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाए एवं मेरिट और डिमेरिट के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

प्रस्ताव संख्या 36

देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीद परिवारों के आश्रितों को विश्वविद्यालय परिसर में निःशुल्क शिक्षा तथा निःशुल्क छात्रावास की सुविधा सहित सभी पाठ्यक्रमों में क्षैतिज 03 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाने हेतु प्रस्ताव। समविश्वविद्यालय की ओर से यह आरक्षण शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि एवं सम्मान होगा।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि शहीद परिवार के उत्तरजीवियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए तथा 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने हेतु एक समिति का गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01 समविश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित संवर्ग में कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 03 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्रबन्ध मण्डल की बैठक की तिथि से दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। 03 प्रतिशत डी. ए. बढ़ाने पर 18 लाख रुपये का वार्षिक अतिरिक्त व्यय होगा।

वित्तीय स्थिति के सापेक्ष प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव संख्या 02 समविश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित संवर्ग में कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो शिक्षक और दो शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को एल. टी. सी. दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। एल. टी. सी. सुविधा में अधिकतम 50000/– (पचास हजार रुपये) ही देय होंगे। इस सुविधा से 2,00,000 रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा।

वित्तीय स्थिति के सापेक्ष प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव संख्या 03 फिक्स चिकित्सा प्रतिपूर्ति रुपये 30000/– से 40000/– करने पर 6,50,000 रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा।

वित्तीय स्थिति के सापेक्ष प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव संख्या 04 समविश्वविद्यालय में विभिन्न संवर्ग में शिक्षकेत्तर कर्मचारी तदर्थ रूप में सेवाएं दे रहे हैं। संवर्ग में सेवा देते हुए कर्मचारियों को 05 से 20 वर्ष हो गये हैं। जिससे कर्मचारियों के मध्य भी वरिष्ठता क्रम में वेतन निर्धारित करने की मांग कई वर्षों से उठाई जा रही है। इससे लगभग अधिकांश तदर्थ कर्मचारियों की वेतन विसंगति सम्बन्धी समस्या का समाधान हो जाएगा।
उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में तदर्थ कर्मचारियों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है –

सेवाकाल वर्ष	वार्षिक वृद्धि प्रतिशत
1. 0 – 7	03 प्रतिशत
2. 7 – 15	05 प्रतिशत
3. 15 – 20	07 प्रतिशत
4. 20 से अधिक	09 प्रतिशत

प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया और सम्पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 05 तदर्थ कर्मचारियों को फिटमेंट टेबल के अनुसार बेसिक सैलरी के सापेक्ष आ जाने पर वार्षिक वेतनवृद्धि दिये जाने के संदर्भ में।
विश्वविद्यालय में कार्यरत तदर्थ कर्मचारी जो बेसिक सैलरी पर पहुंच गये हैं, उन्हें फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि विगत 5 वर्षों से नहीं मिल पा रही है। यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक तदर्थ कर्मचारी को प्रतिवर्ष वार्षिक वृद्धि अवश्य देय होगी।

प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया और सम्पूर्ण विवरण सहित प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 06 मृतक आश्रित कर्मचारियों को तत्काल नियुक्ति दिया जाने के संदर्भ में प्रस्ताव।

कुलपति जी ने सदन को बताया कि पूर्व में जब किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी। तो तुरन्त ही उसके परिवार को मृतक आश्रित में नियमित वेतनमान में नियुक्ति दे

दी जाती थी। प्रस्तावित है कि मृतक आश्रित में परिवार के सदस्य को तुरन्त नियुक्ति प्रदान किये जाने के संदर्भ में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया कि मृतक आश्रित परिवार को अविलम्ब नियमित रोजगार दिया जाना चाहिए । इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय/यू.जी.सी. के पत्रों सहित सम्पूर्ण विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 07

माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में अनेक वाद चल रहे हैं जिस हेतु समय–समय पर अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय में समविश्वविद्यालय का पक्ष रखने वाले पूर्व के अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह द्वारा समविश्वविद्यालय के विभिन्न वादों की पैरवी करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए त्यागपत्र दे दिया था। विशेश स्थिति में एडवोकेट डॉ0 अजयवीर सिंह पुण्डीर को माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली एवं उच्च न्यायालय, नैनीताल को अग्रिम आदेश तक समविश्वविद्यालय के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति के उपरान्त समिति के माध्यम से इनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाएगा। समिति गठित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 95000 रुपये प्रतिमाह रिटेनरशिप फीस के रूप में देय होगा एवं कोई भी नया वाद न्यायालय में दाखिल होने पर अधिवक्ता को 25000 रुपये अतिरिक्त (प्रति वाद) देय होगा।

प्रस्ताव संखा 08

गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय की समस्त भूमि, सम्पत्ति किसी भी परिस्थिति में खुर्द–बुर्द अथवा बेची नहीं जायेगी।

उपरोक्त प्रस्ताव में प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में यह लाया गया कि पूर्व में गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय की बहुत सी सम्पत्ति एवं भूमि खुर्द–बुर्द और बेची जा चुकी है। इस संबंध में प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि एक इंच भूमि भी बेची नहीं जाएगी और बिकी हुई भूमि को हर हाल में वापस लाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति समविश्वविद्यालय की संपत्ति अथवा भूमि को खुर्द–बुर्द करेगा तो उस पर कठोर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित है।

अन्य प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

मा. कुलाधिपति जी के समक्ष प्रो. रूपकिशोर शास्त्री, पूर्व कुलपति एवं सेवानिवृत्त प्रोफेसर द्वारा मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में दायर याचिका **WPSB 675/2024** के अन्तर्गत न्यायालय के आदेश 18.10.2024 के क्रियान्वयन हेतु एक प्रत्यावेदन अपने गतशेषों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया। जिसे मा. कुलाधिपति जी द्वारा कुलपति जी को प्रबन्ध मण्डल में निर्णय लेने हेतु प्रेषित किया गया। उक्त प्रत्यावेदन को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णय तथा क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा 18.10.2024 को प्रदत्त आदेश एवं निर्णय के आलोक में प्रो. रूपकिशोर शास्त्री को सभी गतशेष (All Admissible Dues) – शेष वेतन, आवासीय भत्ता एवं पेंशन इत्यादि सभी देय शीघ्र प्रदान कर दिये जाएं।

13.8.25

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

प्रबन्ध–मण्डल की 27 वीं बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 25.07.2025
समय : अपराह्न 01:00 बजे
स्थान : ए0आई0यू0, नई दिल्ली

बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही :

क0 सं0	**नाम**	**पद**
1.	प्रो0 प्रभात कुमार	मान्य कुलपति, अध्यक्ष
2.	डॉ0 एस0एम0 शर्मा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य
3.	डॉ0 हरि प्रकाश शर्मा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य
4.	डॉ0 प्रतिभा मेहता लुथरा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्या
5.	श्री पी0के0 बैनर्जी	शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से नामित सदस्य (ऑनलाईन) (अनुपस्थित)
6.	श्री विनय आर्य	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
7.	श्री अशोक कुमार पुरथी	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
8.	डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
9.	श्री कृपाल सिंह	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
10.	प्रो0 नवनीत	वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
11.	प्रो. हेमलता के.	वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्या – **अनुपस्थित**
12.	प्रो. सुरेखा राणा	वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्या – **अनुपस्थित**
13.	डॉ0 मनोज कुमार	वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्य
14.	डॉ0 हेमन पाठक	कॉर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून – **विशेष आमंत्रित सदस्य**
15.	प्रो0 राकेश कुमार, वित्ताधिकारी	**विशेष आमंत्रित सदस्य**
16.	प्रो0 सुनील कुमार, कुलसचिव	सचिव–संयोजक
17.	श्री देवेन्द्र कुमार	संयुक्त कुलसचिव

ईश वन्दना के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

प्रस्ताव संख्या 01 प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 25.07.2025 प्रातः 11.00 बजे की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 25.07.2025 प्रातः 11.00 बजे की बैठक की कार्यवाही को सर्वसम्मति से अनुमोदन कर सम्पुष्ट किया गया।

शान्ति पाठ के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

13.8.25